BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

कानूनी सुधार और समावेशी प्रगति

19 नवंबर, 2025

मुख्य बातें

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और इसकी नियमावली, 2020,** कानूनी मान्यता, कल्याणकारी उपाय और भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- सरकार ने 21 अगस्त, 2020 की एक अधिसूचना के माध्यम से **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन** किया।
- **स्माइल (एसएमआईएलई) पहल** गरिमा गृह आश्रयों और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से हाशिए पर पड़े व्यक्तियों की **आजीविका, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पुनर्वास का समर्थन करती है।**
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए **राष्ट्रीय पोर्टल** बहुभाषी डिजिटल सेवाओं के माध्यम से परेशानी मुक्त प्रमाणन, योजना तक पहुंच और पारदर्शिता को सक्षम बनाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समानता, सम्मान और गैर-भेदभाव की गारंटी** दी गई है।

परिचय

भारत ने व्यापक कानूनी सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल पहुंच के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के हाशिए पर पड़े रहने की ऐतिहासिक समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह बदलाव भारतीय समाज में बढ़ती जागरूकता और समावेशिता एवं समानता को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल

2014 को दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) बनाम भारत संघ [रिट याचिका (सिविल) संख्या 400/2012] में स्पष्ट रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता दी। इसके अलावा, सरकार की पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समावेशन, सम्मान, गैर-भेदभाव और मुख्यधारा में एकीकरण को और बढ़ावा देना है। इससे एक ऐसे समाज का निर्माण हो सकेगा, जहां वे समान अधिकारों और अवसरों के साथ फल-फूल सकें।

प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का अधिनियमन (10 जनवरी 2020 से प्रभावी); ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम**, **2020 को अधिसूचना द्वारा लागू किया** जाना ताकि अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित किया जा सके; तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए **राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ (25 नवंबर 2020)**। इन कानूनों ने व्यवस्थित समर्थन और सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी है।

संवैधानिक प्रावधान

सर्वोच्च न्यायालय ने **15** अप्रैल **2014** को दिए गए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) बनाम भारत संघ [रिट याचिका (सिविल) संख्या **400** ऑफ **2012],** मामले में अपने फैसले में**,** स्पष्ट रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता दी और उन्हें अनुच्छेद **14, 15, 16, 19** और **21** के तहत संवैधानिक सुरक्षा का हकदार बनाया।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

10 जनवरी, 2020 से प्रभावी ये अधिनियम एक ऐसा कानून है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, उनसे भेदभाव को रोकता है और उनके कल्याण को अनिवार्य करता है।

इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

1. **धारा 2:** परिभाषाएं (उदाहरण के लिए, "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" में सर्जरी के बावजूद ट्रांस-पुरुष/महिलाएं, इंटरसेक्स, लिंग क्वीर, हिजड़ा आदि शामिल हैं)।
2. **धारा 3:** शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सेवाओं, निवास और आवाजाही में भेदभाव पर प्रतिबंध लगाती है।

3. **धारा 4-7:** स्व-कथित पहचान का अधिकार; पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन (जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से); सर्जरी के बाद संशोधित प्रमाण पत्र।
4. **धारा 8:** कल्याणकारी योजनाओं, समावेशन, बचाव और पुनर्वास के लिए सरकारी दायित्व।
5. **धारा 9-12:** रोजगार में गैर-भेदभाव; शिकायत अधिकारियों का पदनाम; परिवार के निवास का अधिकार।
6. **धारा 13-15:** समावेशी शिक्षा; व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं; स्वास्थ्य देखभाल (जैसे, लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी, परामर्श, बीमा कवरेज)।
7. **धारा 16-18:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (नीतियों पर सलाह देती है, कार्यान्वयन की निगरानी करती है)।
8. **धारा 19-20:** अपराध (2 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडनीय भेदभाव); मुआवजा और निरीक्षण शक्तियां।
9. **धारा 21-24:** नियम बनाने की शक्तियां; अच्छे विश्वास वाले कार्यों के लिए सुरक्षा।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 को 25 सितंबर 2020 को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए लागू किया गया था।

नियम में कहा गया है कि:

- नियम 11(3) के अनुसार: प्रत्येक राज्य को ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल स्थापित करना आवश्यक है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों की निगरानी करेगा और ऐसे अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने की सुविधा प्रदान करेगा। अतः अब 29 ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल निम्नलिखित राज्यों में स्थापित किए गए हैं:

अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

- नियम 10(1) के अनुसार: ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (जो स्थापित किए गए हैं) को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा, और उनके कल्याण को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। अतः अब निम्नलिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 23 TWB स्थापित किए गए हैं:

अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

सरकार द्वारा पहल

भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। **'राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिषद'** नीतिगत सुझाव देने और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करने का कार्य करती है। **25 नवंबर 2020 को शुरू किया गया 'राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल'** पहचान प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करता है तथा विभिन्न लाभों तक पहुंच को सरल बनाता है।

फरवरी 2022 में प्रारंभ की गई SMILE योजना आजीविका, कौशल प्रशिक्षण और आश्रय सहायता प्रदान करती है, जिसमें गरिमा गृह केंद्रों तथा आयुष्मान भारत TG प्लस स्वास्थ्य कवरेज का प्रावधान शामिल है। ये सभी पहलें मिलकर ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए सम्मान, समावेशन और समान अवसरों को बढ़ावा देती हैं।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति' जारी की है, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार सहित अन्य क्षेत्रों में समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद

केंद्रीय सरकार ने **21 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिषद का गठन किया** था, जिसे **16 नवंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से पुनर्गठित किया गया**। यह परिषद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है, जिसका उद्देश्य भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है।

परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के पाँच प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के प्रतिनिधि, विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, तथा स्वयंसेवी संगठनों (NGOs) से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

कार्य और जिम्मेदारियां

- **सलाहकार की भूमिका:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** समानता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना।
- **समीक्षा और समन्वय:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े कामकाज करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना। यह सुसंगतता, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और दोहराव या अंतराल से बचने के लिए है।
- **शिकायत निवारण:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण।
- **अन्य निर्धारित कार्य:** ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

स्माइल (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता) योजना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना **भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के व्यापक पुनर्वास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है।** केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पेश की गई स्माइल को 26 मई, 2020 को अधिसूचित किया गया था और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के साथ संरेखित करने के लिए संचालित किया गया था।

स्माइल का उद्देश्य अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखना है, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समानता, गैर-भेदभाव और गरिमा का अधिकार सुनिश्चित हो सके। यह योजना लक्षित और समावेशी हस्तक्षेपों के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करके उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

स्माइल योजना को "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास" के माध्यम से समग्र सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्माइल योजना के प्राथमिक उद्देश्य

1. **कौशल विकास और रोजगार:** रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों की पेशकश करना और समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक अवसरों को अनिवार्य करना।
2. **छात्रवृत्ति योजनाएं:** छात्रवृत्ति का उद्देश्य ड्रॉप-आउट की घटनाओं को कम करना और एकल लॉगिन क्रेडेंशियल का

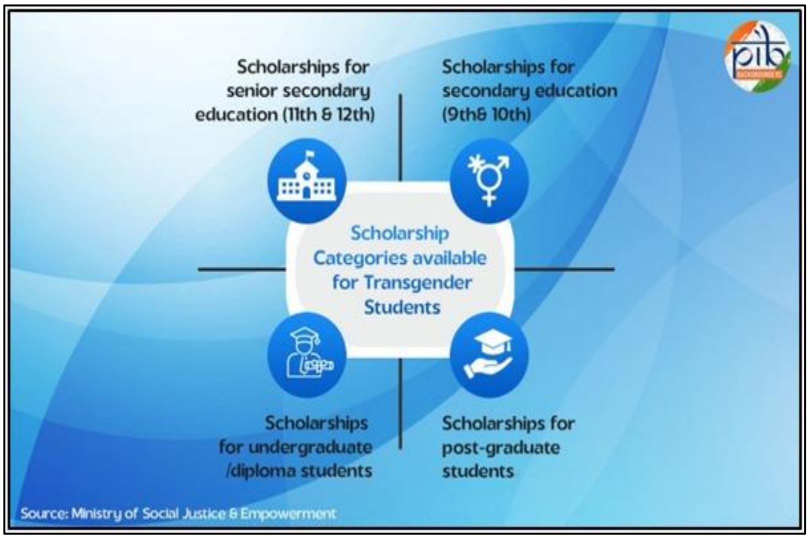

उपयोग करके एक स्वचालित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई में सहायता करना है।

3. **समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य:** सरकार नीचे दिए गए इन उपायों के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करती है। ये लाभ निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

क. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को बरकरार रखते हुए, मुफ्त चिकित्सा कवरेज के लिए लिंग-पुष्टि देखभाल, एचआईवी निगरानी, परामर्श और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के साथ एकीकरण प्रदान करना।

ख. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक समर्पित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत टीजी प्लस का शुभारंभ।

ग. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का मुफ्त चिकित्सा कवरेज प्रदान करना।

घ. बीमा एक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज को कवर करता है, जिसमें शामिल हैं:

- लिंग-पुष्टि प्रक्रियाएं
- हार्मोन थेरेपी
- लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी (एसआरएस) और पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल

4. **सुरक्षित आश्रय:** ट्रांसजेंडर अधिनियम **2019** की धारा **12(3)** में कहा गया है कि अगर कोई माता-पिता या उसके निकटतम परिवार का कोई सदस्य ट्रांसजेंडर की देखभाल करने में असमर्थ हो, तो सक्षम अदालत एक आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र में रखने का निर्देश देगी। उसी के अनुरूप**,** स्माइल योजना में गरिमा गृह की स्थापना का प्रावधान है**,** ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन**,** चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान किया जा सके।15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 18 गरिमा गृहों को सहायता प्रदान की गई है और चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान तीन नए गरिमा गृह स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।

5. **ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय पोर्टल एकीकरण:** अपराधों की निगरानी करने**,** समय पर एफआईआर पंजीकरण सुनिश्चित करने और कानूनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों के तहत जिला-स्तरीय प्रकोष्ठों की स्थापना करना।

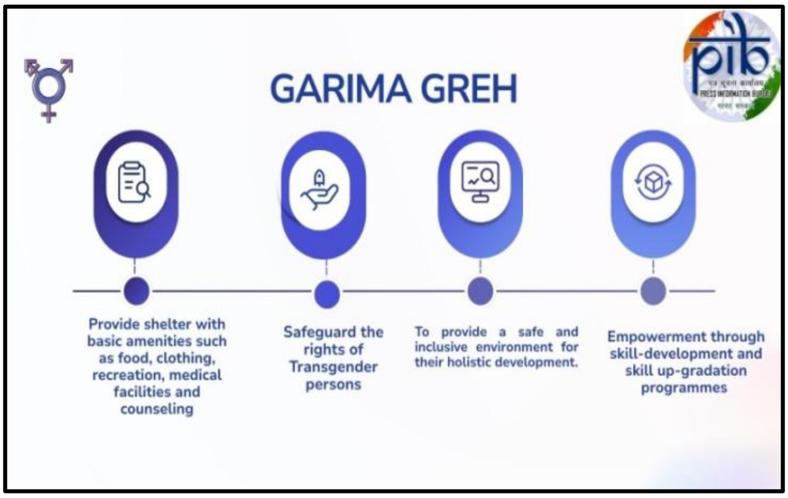

Progress So Far

Sector / Ministry	Initiative / Programme	Key Figures / Outcomes
Skill Development & Training	Training of transgender persons in various states/UTs (Jharkhand, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, New Delhi)	• **725 trained** • **Target: 500+** more under Beauty & Wellness and Media & Entertainment Sectors
Entrepreneurship Development	15-day Entrepreneurship Development has been allotted to National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD)	• **1,800 target beneficiaries** • **25 trained (1st batch)** at Garima Greh, Delhi upcoming in Chennai, Mumbai, Delhi
Ministry of Housing and Urban Affairs Housing (MoHUA - NULM)	Accommodation under "Shelter for Urban Homeless"	Coverage in **18 states/UTs** including Punjab, Kerala, Odisha, etc.
Health (NHA - Ayushman Bharat PMJAY)	"Ayushman TG Health Card" with 50 medical services	• **80 Ayushman Bharat TG cards issued** • **170+ NGOs/CBOs trained** for facilitation
Sanitation (Swachh Bharat Mission - Urban)	Included toilets for transgender persons in their policy guidelines	**Policy inclusion implemented**
Identity (UIDAI)	Included transgender identity certificate as valid document in updating Aadhar credentials	**Implemented** nationwide
Reserve Bank of India (RBI)	Transgender persons under Priority Sector Lending for self-employment	**Eligible for loans** under PSL guidelines
Education (MoE)	Central Sector Interest Subsidy Scheme	**₹20.51 lakh released** (2020–21 to 2024–25)
Ministry of Rural Development (MoRD)	Promotion of Transgender Self-Help Groups (SHGs)	• **296 SHGs formed** • **25 SHGs received ₹3.12 crore in loans**

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल

पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड जारी करने के लिए **25 नवंबर, 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया था।** पोर्टल कई भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मलयालम और बंगाली) में उपलब्ध है। यह एक एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रक्रिया है जहां आवेदक टीजी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है और जारी किए जाने के बाद किसी भी कार्यालय में गए बिना प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकता है।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार और उसके संबंधित मंत्रालयों के नेतृत्व में हाल के वर्षों में देश में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत सुधार हुए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, बाद के संशोधनों और स्माइल और गरिमा गृह जैसी लक्षित योजनाओं के साथ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, कानूनी मान्यता और सामाजिक सुरक्षा के लिए मजबूत नींव रखी है। वर्ष 2025 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जागरूकता बढ़ाने, कलंक को दूर करने और नीतिगत ढांचों और सार्वजनिक जीवन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रभावी समावेश को सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अभियान और सम्मेलन आयोजित करना जारी रखेगा।

देश जैसे-जैसे अधिक न्यायसंगत भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सुनिश्चित कर रहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति गरिमा, स्वायत्तता और अवसर के साथ रहें। साथ ही इनके लोकतांत्रिक और मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के केंद्र में बने रहें।

संदर्भ:

पत्र सूचना कार्यालय:

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2042571
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163005
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2157945#:~:text=The%20Garima%20Grehs%20supported%20by,DoSJE%20in%2015%20States%2FUTs.
- https://pib.gov.in
- https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jun/doc202263068801.pdf
- https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1648221

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

- https://api.sci.gov.in/supremecourt/2022/36593/36593_2022_1_1501_47792_Judgement_17-Oct-2023.pdf

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय:

- https://transgender.dosje.gov.in/
- https://socialjustice.gov.in/public/ckeditor/upload/2021-22%20AR%20Social%20Justice%20English_1648809478.pdf
- https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/44051740858189.pdf
- https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/32691723633555.pdf
- https://transgender.dosje.gov.in/Applicant/Registration/DisplayForm2

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)

- https://nalsa.gov.in/social-action-litigation/

विधि एवं न्याय मंत्रालय

https://api.sci.gov.in/supremecourt/2022/36593/36593_2022_1_1501_47792_Judgement_17-Oct-2023.pdf

पीके/केसी/केके/एनजे